

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गोपाल लाल स्वर्णकार, आरएएस,

प्रकरण संख्या:- 16/2017 (गुण्डा एक्ट)

दायर दिनांक:- 01.11.2017

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

-----प्रार्थी

बनाम

श्री कमलेश पिता भागीरथ तेली निवासी तेलियों की गली, प्रतापगढ़ (राज.)

-----अप्रार्थी/गैरसायल

:-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975:-




:-निर्णय:-

दिनांक:- 30 मई 2019

1-श्रीमान् कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेशांक/सरिश्ता/आदेश/2010/1571-1575 दिनांक 22.12.2010 से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को दिये जाने से हस्तगत प्रकरण में सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है । संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/2, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/गैरसायल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल व्यक्ति बदमाश प्रवृत्ति का होकर अवैध जुआं सट्टा खेलने का आदि है इसके विरुद्ध कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है । अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 02 प्रकरण पंजीबद्ध होकर, सक्षम न्यायालय से दोषी करार जुर्माने से दण्डित किया गया है ।

अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईत्तला रिपोर्ट थाना प्रतापगढ़ में दर्ज होकर, प्रकरणवार नतीजा न्यायालय उसके सामने अंकित है:-


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	तारीख दायर	अंतिम रिपोर्ट पुलिस	निर्णय न्यायालय
198/17	13 आर.पी.जी.ओ.	07.07.17	150/17	दिनांक 26.08.17 को दोषी करार एवं 100 रु जुर्माने से दण्डित
211/17	13 आर.पी.जी.ओ.	10.07.17	154/17	दिनांक 30.08.17 को दोषी करार एवं 100 रु जुर्माने से दण्डित

प्रार्थना पत्र ताईद में प्रथम सूचना रिपोर्ट्स, चार्ज शीट्स एवं सक्षम न्यायालय में निर्णय की सत्यापित प्रतियाँ पेशकर, अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की।

2-मामला बाद पंजीबद्ध कर, अप्रार्थी / गैरसायल को नोटीस जारी किया गया। अप्रार्थी/गैरसायल मय अधिवक्ता के उपस्थित व अपने जवाब में बताया कि धारा 3/2 गुण्डा अधिनियम कार्यवाही हेतु यह साबित करता आवश्यक है कि व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही चाही गई है उसके द्वारा ऐसे अपराध में लिप्त रहा हो जिसके कारण किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति को खतरा अथवा नुकासान करने वाली या कराने वाली समझा जावे। गैरसायल ने अपने जवाब में यह बताया कि पिछले 1 वर्ष से किसी संज्ञेय अपराध में संलिप्तता रही हो का कोई दस्तावेज इस्तगासे के साथ पेश नहीं है। साथ ही शपथ पत्र पेश किया कि प्रार्थी गरम मसाले की लारी लगाता है। अतः प्रकरण की कार्यवाही निरस्त फरमाने निवेदन किया।

3-हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी 'गुण्डा' कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो। जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/गैरसायल के भी 2 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है और प्रार्थना पत्र की पुष्टि में वक्त सूनवाई उनके द्वारा तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/सबुत पेश नहीं किये हैं।

4-चूंकि अप्रार्थी/गैरसायल को उपर वर्णित दोनों प्रकरणों में अपराध प्रमाणित होने से सक्षम न्यायालय द्वारा मात्र 100 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/गैरसायल श्री कमलेश तेली पिता भागीरथ तेली के विरुद्ध चल रही प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। थानाधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गैरसायल की गतिविधियों पर नजर रखे अगर वह फिर 13 आरपीजीओ के तहत कार्यवाही करता है तो इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत करावे। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़/थानाधिकारी प्रतापगढ़ को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
अतिरिक्त निम्न मजिस्ट्रेट
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)

